न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 45/2023-24
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष ..... करमपाल साहु .....
बनाम
द्वितीय पक्ष ..... मोहन लाल साहु .....वगैरह

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	वाद की कार्रवाई थाना कामडारा अप्राथमिकी सं० 08/2023 दिनांक 08.05.2023 धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रथम पक्ष (1) करमपाल साहु, उम्र 73 वर्ष, पिता–स्व0 अंधु साहु, ग्राम– सुरहू, नवाटोली थाना– कामडारा जिला– गुमला के बीच खाता सं0 – 94 प्लॉट सं0– 166 रकबा 1.15 एकड़ भूमि का जमीन को लेकर का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। थाना प्रभारी, कामडारा के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है। **प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–** प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि खाता संख्या 94 प्लॉट सं0 166 रकबा 1.15 एकड़ से संबंधित है। कामडारा थाना अप्राथमिकी संख्या 08/2023 दिनांक 28/05/2023 के आधार पर उभय पक्षों के बीच दं० प्र० सं० की धारा 144 अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की गई जो प्रथम पक्ष में लागू नहीं होने योग्य है। मौजा नवाटोली पुटकलटोली थाना कामडारा थाना नं. 102 जिला गुमला अंतर्गत खाता नं. 94, प्लॉट नं. 166, रकबा 1.15 एकड़ नाम जमीन बाग आम विवाद का कारण है जो प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन है। प्रथम पक्ष शांति प्रिय सामाजिक आदमी है एवं कानून का पालन करने वाले है बल्कि द्वितीय पक्ष के सदस्य कानून को कुछ भी नहीं समझते है। कानून का उलंघन कर प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन का सुखा पेड़ को काट कर अपने घर ले गये है। प्रथम पक्ष के लकड़ी को काट काट कर ले जाने पर मना करने पर गाली गलौज, मार पीट पर उतारू हो जाते है। द्वितीय पक्ष के पिता स्व0 विशु साहु पिता स्व0 रामु साहु सन 2005 में पार्टीशन सूट मुकदमा व्यवहार न्यायालय गुमला में किये थे जिसका केस नं. 14/2005 है। जबकी द्वितीय पक्ष के पिता के नाम विवादित जमीन का लगान रसीद कटता है फिर भी सन 2005 में पार्टीसन सूट लाया गया है। विवादित जमीन पर हक दखल कब्जा नहीं है ऐसी परिस्थिति में द्वितीय पक्ष के नाम जमाबंदी कायम होना कानून की नजर में बिल्कुल गलत है।	

द्वितीय पक्ष के हिस्से की जमीन नहीं है जिसके कारण द्वितीय पक्ष के पिता पार्टीशन सूट फाइल किया गया है। पार्टीशन सूट फाइल करने के पश्चात पार्टीशन सुट वापस ले लेने का मतलब प्रथम पक्ष को परेशान करने के उदेश्य से यह मुकदमा लाया गया है। उक्त पार्टीशन सूट में द्वितीय पक्ष के पिता स्व0 विशु साहू मुकदमा वापस ले लिये कारण कि मैं फ्रेस नया पा. सू फाईल करूँगा फिर द्वितीय पक्ष के पिता फ्रेस पा. सू फाईल कभी नहीं किये। व्यवहार न्यायालय गुमला के सब जज गुमला के द्वारा पार्टीशन सूट नं. 14/2005 को खारिज कर दिये। इसके बाद द्वितीय पक्ष के पिता द्वारा कभी कोई मुकदमा नहीं किया गया।

प्रथम पक्ष के शांतिपूर्ण दखल–कब्जा वाली जमीन में द्वितीय पक्ष जबरजस्ती हड़पने के नियत से प्रयासरत है। पूर्वजों के बीच बँटवारा निस्पादित हिस्से में संतुष्टि नहीं है तो द्वितीय पक्ष न्यायालय में पा. सू. मुकदमा लाकर विधि सम्मत निस्पादित कर लेंगे।

अतः श्रीमान से नम्र प्रार्थना है कि साक्ष्य कागजात का अवलोकन करते हुए प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाय एवं द्वितीय पक्ष को उक्त वर्णित भूमि में जाने से रोका जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 लिखित जवाब की प्रति।

द्वतीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम के सदस्यों के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध में धारा 144 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की गयी है। द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त होने योग्य है। प्रस्तुत वाद जमीन अंतर्गत मौजा– कामडारा, नवाटोली खाता सं0 94/03 प्लॉट सं0 166 रकबा 1.15 ए0 उक्त जमीन खतियान में आनन्द चीक वगैरह के नाम दर्ज है अतियान खाता नं0 94 का जमीन नावल्दी होने के कारण जमीन्दारी निहित होने के बाद उक्त खाता के रैयत का कोई पता नहीं होने के कारण और आवेदक रामु साहु, द्वितीय पक्ष मोहन लाल साहु के दादा के दखल देखते हुए बंटवारा में शामिल किया गया था । पार्टीशन सुट मोसमात बोधी, पति–स्व० भोगला साहू वगैरह बनाम, धुमा साहु, रामु साहु एवं आन्धु साहु के विरुद्ध पार्टीशन सुट नं0– 28/1956 दाखिल हुआ था जिसमें फाइनल डिग्री सभी हिस्सेदारों का बना और तदनुसार धुमा साहु और रामु साहु का तखता ''सी'' बना एवं प्रतिवादी आन्धु साहु का तखता ''बी'' बना। जिस आदेश की छायाप्रति संलग्न है उक्त पार्टीशन सुट नं0– 28/1956 के आधार पर द्वितीय पक्ष के दादा रामु साहु व धुमा साहु पिता जुटु साहु के नाम नामांतरण वाद संख्या 69/80–81 के द्वारा नामांतरण स्वीकृत हुआ और तदनुसार लगान रसीद निर्गत हुआ जिसमें कुल रकबा 7.70 ए0 है।

उक्त दा० खा० मु० से०– 69/80–81 में प्रश्नगत जमीन खाता 94 में प्लाट नं0 166 रकबा 1. 15 ए० शामिल है । जमीन का द्वितीय पक्ष के पुर्वज और वर्तमान में द्वितीय पक्ष के सदस्य सरकार को लगान देते आ रहे हैं और शांतिपूर्वक उक्त जमीन पर काबिज है और जोत कोड कर रहे हैं। जमीन का जमाबंदी द्वितीय पक्षी के दादा रामु साहु व धुमा साहु के नाम कायम है जो भोलुम नं 01 पेज नं0 137 पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष के सदस्य दबंग और झगडालु किस्म के व्यक्ति हे और बिना हक व सरोकर के द्वितीय पक्ष के जमीन पर लगे आम के पेड़ पर दावा कर रहे है। प्रथम पक्ष के सदस्य कभी उक्त जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के सदस्यों पर हमला कर सकते है और कोई अप्रिय घटना कर सकते है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवही द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए प्रथम पक्ष को विरूद्ध स्थिर किया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 लिखित जवाब की प्रति।
2. पट्टा।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचती हूँ कि वाद्गत भूमि खाता सं0 – 94 प्लॉट सं0– 166 रकबा 1.15 एकड़ से संबंधित है। समय सीमा खत्म हो गया है। वादग्त भूमि पर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः इस वाद को बिना किसी गुण–दोष के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

3/7/24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

3/7/24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.03 14:34:12 +05:30
Location: 192.168.1.3